

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-प.2()जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./बैठक/2025/डी-

दिनांक:-

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 215वीं बैठक दिनांक 16.10.2025 को प्रातः 11:00 बजे श्रीमती आनन्दी, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिंतन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार-विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

क्र.सं.	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	-	215:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 214वीं बैठक दिनांक 09.09.2025 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 214वीं बैठक दिनांक 09.09.2025 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा लम्बित प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिये गए। - एजेण्डा संख्या 210:4, 210:5, 210:6 एवं 210:7 की अनुपालना की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि भविष्य में समान प्रकृति के प्रकरणों जिनमें निर्णय में ली जाने वाली दर का उल्लेख नहीं किया नहीं किया गया, तब जोन स्तर से राजस्थान लैण्ड डिस्पोजल रूल्स के तहत कार्यवाही करे। - एजेण्डा संख्या 211:12 की अनुपालना की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि भविष्य में नवीन भू-आवंटन नीति-2025 के प्रावधानानुसार केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों/उपक्रमों को भूमि आवंटन के आवेदन के साथ डी.पी.आर. (औचित्य, निर्माण का विवरण, उपयोग, आर्थिक तकनीकी क्षमता), प्रशासनिक निर्णय की प्रति एवं विभागीय मानक प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता की जावेगी। - एजेण्डा संख्या 214:11 पर निर्णय लिया गया कि जविप्रा की योजना नोलेज सिटी साउथ चित्तौड़ा में विद्युतीकरण कार्य हेतु 132/33 के.वी. विद्युत

रामकिशोर व्यास भवन ए इन्दिरा सर्किल ए जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

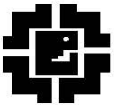
दूरभाष 991014125701222 रु ईपीबीएक्स 9101412569696 एक्सटेंशन रु 87019 रु 87019 ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}

ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}



Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional
Commissioner
Date: 2025.10.21 13:04:41 IST
Reason: Approved



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

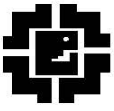
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

				सब स्टेशन के लिए 5000 वर्ग मी. भूमि स्वामित्व जविप्रा के नाम रखे जाने की शर्त के साथ आरक्षित की जाती है।
2.	8	215:2	निजी खातेदारी योजना रवि किरण विहार के सुविधा क्षेत्र क्षेत्र 1252.70 वर्ग मीटर में से 626.35 वर्ग मीटर भूमि नर्सरी एवं किण्डर स्कूल निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	निजी खातेदारी योजना रवि किरण विहार के सुविधा क्षेत्र क्षेत्र 1252.70 वर्ग मीटर में से 626.35 वर्ग मीटर भूमि नर्सरी एवं किण्डर स्कूल निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- नविवि के आदेश दिनांक 19.07.2018, राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.07.2011 तथा सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ी गई भूमि के संबंध में आदेश दिनांक 13.02.2015 के क्रम में निजी खातेदारी की योजना रवि किरण विहार के सुविधा क्षेत्र 1252.70 वर्ग मी. में से 626.35 वर्ग मी. भूमि बी.पी.सी. (एल.पी.) की 392वीं बैठक दिनांक 08.04.2025 में नर्सरी एवं किण्डर स्कूल हेतु निर्धारित लैण्ड यूज के रूप में उपयोग हेतु आरक्षित दर पर विकासकर्ता श्री कार्तिक कौशिक, विनायक कौशिक, श्रीमती मंजु कौशिक, विरेन्द्र कौशिक जरिये मुख्यालय विरेन्द्र कौशिक को आरक्षित दर पर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। सुविधा क्षेत्र की शेष रही भूमि को डिमार्केट कर लैण्ड बैंक/सीपीआरएमएस में अद्यतन करावें। जोन उपायुक्त स्तर से पत्रावली पर तय समय सीमा/निर्धारित समयावधि में आवेदन प्राप्त होने की सुनिश्चितता तथा प्राप्त आवेदन प्राधिकरण के पार्ट पर लम्बित रहा है, कि पुष्टि एवं विकासकर्ता को दिए जाने योग्य क्षेत्रफल की सही गणना सुनिश्चित करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
3.	8	215:3	ग्राम रामसिंहपुराबास तहसील सांगानेर में स्थित खसरा नं. 157, कुल रकबा 10.4195 है. में से 1.2932 है. भूमि मिनी सचिवालय, सांगानेर के राजकीय भवन हेतु आवंटन किये जाने	ग्राम रामसिंहपुराबास तहसील सांगानेर में स्थित खसरा नं. 157, कुल रकबा 10.4195 है. में से 1.2932 है. भूमि मिनी सचिवालय, सांगानेर के राजकीय भवन हेतु आवंटन किये जाने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय

रामकिशोर व्यास भवन ए इन्दिरा सर्किल ए जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष 9101412570122 ई-पीबीएक्स 9101412569696 एक्सटेंशन 47019 ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation: Additional
Commissioner
Date: 2025.10.21 13:04:41 IST
Reason: Approved



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

			बाबत् ।	लिया गया कि:- जिला कलक्टर, जयपुर को उनके आवेदन पर प्रस्तावित भूमि ग्राम रामसिंहपुरावास तहसील सांगानेर में स्थित खसरा संख्या 157 के कुल रकबा 10.4195 हैक्ट. में से 1.2932 हैक्टे. मिनी सचिवालय के राजकीय भवनों हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। नवीन भू-आवंटन नीति-2025 में जिला स्तरीय कार्यालय के लिये संभागीय स्तर पर 5000 व.मी. का प्रावधान है परन्तु मिनी सचिवालय में एक से अधिक भवनों को स्थानान्तरित/आवंटित किया जाना है। अतः चाही गई अतिरिक्त भूमि को आवंटित किये जाने की सक्षमता राज्य सरकार के स्तर से होने के कारण निःशुल्क आवंटन की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
4.	8	215:4	निजी खातेदारी की आवासीय योजना सीताराम विहार विस्तार-ए में सुविधा क्षेत्र (कम्यूनिटी सेन्टर) हेतु आरक्षित 1921.63 वर्ग गज भूखण्ड पर प्रस्तावित बहु-उद्देशीय पशु चिकित्सालय सांगानेर प्रोस्थेटिक सेन्टर सांगानेर हेतु आवंटन करने बाबत।	निजी खातेदारी की आवासीय योजना सीताराम विहार विस्तार-ए में सुविधा क्षेत्र (कम्यूनिटी सेन्टर) हेतु आरक्षित 1921.63 वर्ग गज भूखण्ड पर प्रस्तावित बहु-उद्देशीय पशु चिकित्सालय सांगानेर प्रोस्थेटिक सेन्टर सांगानेर हेतु आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- नवीन भू-आवंटन नीति-2025 के प्रावधानों में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय हेतु पृथक से कोई प्रावधान अंकित नहीं है। आवेदक संस्था द्वारा चाही गई 2500 वर्ग गज भूमि के स्थान पर उपलब्ध 1921.63 वर्ग गज भूमि, जिसका मास्टर प्लान-2025 में भू-उपयोग आवासीय दर्शित तथा योजना के अनुमोदित मानचित्र में सुविधा क्षेत्र (कम्यूनिटी सेन्टर) हेतु आरक्षित है, को बजट ६ षोषणा 2024-25 की पालना में निःशुल्क आवंटन निर्णय लिया गया। आवंटन से पूर्व प्रस्तावित भूमि जो कि मास्टर प्लान-2025 में भू-उपयोग आवासीय दर्शित तथा योजना के अनुमोदित मानचित्र में सुविधा क्षेत्र

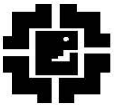
रामकिशोर व्यास भवन ए इन्दिरा सर्किल ए जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष 991014125701222 रु ईपीबीएक्स 9101412569696 एक्सटेंशन रु 67019 रु फैक्स 911412574555

ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation: Additional
Commissioner
Date: 2025.10.21 13:04:41 IST
Reason: Approved



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

				(कम्युनिटी सेंटर) हेतु आरक्षित है, का एण्डयूज प्रस्तावित उपयोग अनुसार बदले जाने बाबत प्रकरण बी.पी.सी. (एल.पी.) के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।
5.	9	215:5	चाईल्ड एज्युकेशन सोसायटी को विद्यालय भवन की स्थापना हेतु 7520.00 व.मी. भूमि आवंटन बाबत।	चाईल्ड एज्युकेशन सोसायटी को विद्यालय भवन की स्थापना हेतु 7520.00 व.मी. भूमि आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- जविप्रा की आवासीय योजना दांतली, सिरौली के संस्थानिक भूखण्ड संख्या आई-1 की रि-प्लानिंग की जाकर इस भूखण्ड में से 7520 व.मी. भूमि आवेदक संस्था चाईल्ड एज्युकेशन सोसायटी को न्यायिक विवाद की वजह से पूर्व में आवंटित भूमि कब्जा नहीं दिए जाने के फलस्वरूप उक्त भूखण्ड विनिमय में दिये जाने संबंधी प्रस्ताव पूर्ण तथ्यों तथा माननीय न्यायालय में लम्बित वाद की स्थिति के विवरणों के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये।
6.	9	215:6	जविप्रा की योजना खूसर के भूखण्ड संख्या ए- 34 क्षेत्रफल 415.50 व.मी. के साथ अतिरिक्त भूमि क्षेत्रफल 42.00 वर्ग मीटर का मौका अनुसार भूमि आवंटन बाबत।	जविप्रा की योजना खूसर के भूखण्ड संख्या ए- 34 क्षेत्रफल 415.50 व.मी. के साथ अतिरिक्त भूमि क्षेत्रफल 42.00 वर्ग मीटर का मौका अनुसार भूमि आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- प्राप्त एजेण्डे में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार बढी हुई भूमि के पेटे जारी मांगपत्र दिनांक 01.05.2014 के क्रम में आवेदक द्वारा दिनांक 22.04.2015 को राशि जमा करवा दी गई है। मांगपत्र जारी किये जाने से पूर्व सक्षम स्वीकृति की जाँच सुनिश्चित कर ली जाए। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त मांगपत्र जारी किये जाने की पुष्टि की स्थिति में बढे हुए क्षेत्रफल का आवंटन स्वीकार किया जाता है। यदि मांगपत्र जारी किये जाने की सक्षम स्वीकृति नहीं होने की स्थिति नहीं पाई जाती है तो राजस्थान लैंड डिस्पोजल रूल्स के नियम संख्या

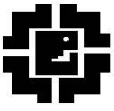
रामकिशोर व्यास भवन ए इन्दिरा सर्किल ए जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष 91014125701222 रु ईपीबीएक्स 9101412569696 एक्सटेंशन रु 87019 रु फैक्स 911412574555

ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional
Commissioner
Date: 2025.10.21 13:04:41 IST
Reason: Approved



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

				23 के अनुरूप बढे हुए क्षेत्रफल (42 व.मी. भूमि) पर आरक्षित दर से दुगुनी दर के आधार पर राशि लेय होगी। जिसमें से पूर्व जमा राशि का समायोजन किया जा सकेगा।
7.	11	215:7	श्रीमती आसी देवी पत्नी शहीद श्री गोरखराम वीर चक्र पुरुस्कार विजेता नियम 17-ए के तहत जविप्रा की आवासीय योजना मोहनलाल सुखाडिया नगर के 162 व.मी. क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से लॉटरी के माध्यम से अवार्डधारक को एक भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	श्रीमती आसी देवी पत्नी शहीद श्री गोरखराम वीर चक्र पुरुस्कार विजेता नियम 17-ए के तहत जविप्रा की आवासीय योजना मोहनलाल सुखाडिया नगर के 162 व.मी. क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से लॉटरी के माध्यम से अवार्डधारक को एक भूखण्ड आवंटित करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तथा श्रीमती आसी देवी पत्नी शहीद श्री गोरखराम वीर चक्र पुरुस्कार विजेता को जविप्रा की आवासीय योजना मोहनलाल सुखाडिया नगर के 162 व.मी. का भूखण्ड, उपलब्ध भूखण्ड संख्या 3, 18, 34, 77, 81 में से लॉटरी के माध्यम से आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। जोन स्तर से आवंटन/मांग पत्र जारी किये जाने से पूर्व पात्रता/सक्षमता तथा आई.सी. नंबर संबंधी दस्तावेजों के सुनिश्चितता करने के पश्चात् ही आवंटन पत्र जारी किया जावे।
8.	11	215:8	सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडीपरसा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस-184 क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर के स्थान पर विनिमय में अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडीपरसा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस-184 क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर के स्थान पर विनिमय में अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- जोन द्वारा प्रस्तुत मौका स्थिति का अवलोकन करने के पश्चात् निर्णय लिया गया कि सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडीपरसा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस-184 क्षेत्रफल 800 व.मी. को विनिमय में अन्य भूखण्ड दिया जाना सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार्य है, इस कार्यवाही से पूर्व इस ब्लॉक के प्रभावित स्कीम के जारी Approved Map एवं मौके की स्थिति का मिलान

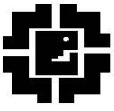
रामकिशोर व्यास भवन इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर 302004

दूरभाष 91014125701222 ईपीबीएक्स 9101412569696 एक्सटेंशन 670196 ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}

ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation: Additional
Commissioner
Date: 2025.10.21 13:04:41 IST
Reason: Approved



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

				भूखण्डों की रि-प्लॉनिंग कर प्रकरण प्रस्तुत किया जावे। स्कीम के जारी अनुमोदित मानचित्र एवं मौके की स्थिति का मिलान रिप्लॉनिंग में कर लिया जावे।
9.	11	215:9	राईजिंग राजस्थान के तहत प्रेम कार्गो एण्ड मुवर्स को भूखण्ड आवंटन बाबत।	राईजिंग राजस्थान के तहत प्रेम कार्गो एण्ड मुवर्स को भूखण्ड आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- आवेदक को एलपीसी की 213वीं बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार आवंटित ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 6637 रकबा 20.39 हैक्टेयर में से 3000 व.मी. क्षेत्रफल का भूखण्ड पानी में डूबे रहने की वजह से मौके पर कब्जा नहीं दिये जा सकने की स्थिति में निरस्त किया जाता है। राईजिंग राजस्थान के तहत प्राप्त निवेश प्रस्ताव एवं वित्तीय सक्षमता स्वीकार्य होने के आधार पर तथा संस्था द्वारा दिनांक 28.10.2025 को दिये गये आवेदन जिसमें चालक प्रशिक्षण एवं लॉजिस्टिक नियंत्रण केन्द्र में वाहन पार्किंग तथा यातायात सुगमता के आधार पर 1600 व.मी. अतिरिक्त भूमि के आवेदन के आधार पर ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 6638 के रकबा 4.90 हैक्टेयर किस्म चरागाह में जविप्रा स्वामित्व की भूमि में से 4000 व.मी. भूमि (आवेदन ड्राईवर ट्रेनिंग सेंटर एवं लॉजिस्टिक सेंटर रूम हेतु किया गया है जो कि रिसर्च एवं ट्रेनिंग संस्थान कैटेगरी में संभागीय मुख्यालय स्तर पर अधिकतम 4000 व.मी. देय है) नवीन भू-आवंटन नीति-2025 के प्रावधानानुसार अविकसित भूमि होने के कारण डीएलसी दर पर आवंटन की अभिशप्ता के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। एलपीसी की 213वीं बैठक के निर्णयानुसार आवेदक द्वारा पूर्व में आवंटित भूखण्ड के पेटे जमा कराई गई राशि को समायोजित किये जाने का निर्णय

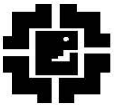
रामकिशोर व्यास भवन ए इन्दिरा सर्किल ए जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर 302004

दूरभाष 91014125701222 रु ईपीबीएक्स 9101412569696 एक्सटेंशन रु 19 रु फ़ैक्स 911412574555

ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation: Additional
Commissioner
Date: 2025.10.21 13:04:41 IST
Reason: Approved



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

				लिया गया।
10.	11	215:10	सेज पुनर्वास योजना ग्राम झाई के आवासीय भूखण्ड संख्या 216 क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर के स्थान पर विनिमय में अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	सेज पुनर्वास योजना ग्राम झाई के आवासीय भूखण्ड संख्या 216 क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर के स्थान पर विनिमय में अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार सेज पुनर्वास योजना ग्राम झाई के आवासीय भूखण्ड संख्या 216 क्षेत्रफल 900 व.मी. माननीय न्यायालय से स्थगन होने की वजह से अन्य भूखण्ड दिये जाने का प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया गया। प्राप्त प्रस्ताव में भूखण्ड संख्या 216, 12 मीटर सड़क पर अवस्थित है जबकि विनिमय में दिये जाने वाले भूखण्ड राजदरबार योजना के भूखण्ड (संख्या 100, 101, 130) 18 मीटर व 30 मीटर सड़क पर अवस्थित है जो कि विनिमय के मूल आदेश समतुल्यता/सममूल्यता के अनुरूप नहीं है। अतः सेज योजना के पुनर्वास हेतु निर्धारित पूरे क्षेत्र में 12 मीटर सड़क पर उपलब्ध भूखण्ड विनिमय हेतु तलाशें जावें। यदि 12 मीटर पर समतुल्य/सममूल्य के भूखण्ड की उपलब्धता की स्थिति में नवीन प्रस्ताव भिजवाया जावे अन्यथा वर्तमान प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है, जोन द्वारा यह सुनिश्चितता की जावे।
11.	12	215:11	जविप्रा की आवासीय आनन्द लोक-II भूखण्ड संख्या 979 के आवंटित क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर में अतिरिक्त बढ़ हुए क्षेत्रफल 84.00 व.मी. को सम्मिलित कर आवंटन करने बाबत।	जविप्रा की आवासीय आनन्द लोक-II भूखण्ड संख्या 979 के आवंटित क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर में अतिरिक्त बढ़ हुए क्षेत्रफल 84.00 व.मी. को सम्मिलित कर आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- प्राप्त एजेण्डा के अनुसार प्रस्तावित आनन्द लोक-II आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या 979 में बढ़ते हुए क्षेत्रफल 84 व.मी. का आवंटन श्री विरेन्द्र सिंह राणावत पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह के नाम

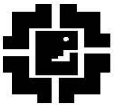
रामकिशोर व्यास भवन ए इन्दिरा सर्किल ए जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष 991014125701228 रु ईपीबीएक्स 9101412569696 एक्सटेंशन रु 87019 रु फैक्स 911412574555

ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation: Additional
Commissioner
Date: 2025.10.21 13:04:41 IST
Reason: Approved



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

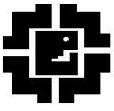
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

				राजस्थान लैण्ड डिस्पोजल रूल्स के नियम 23 के अनुसार आरक्षित दर से दुगुनी दर पर किये जाने का निर्णय लिया गया। जोन द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड अनुसार इस ब्लॉक के 22 भूखण्डों में अन्य भूखण्ड जिनका क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है के भूखण्डधारियों को भी सूचित कर बड़े क्षेत्रफल के आवंटन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त किये जावे।
12.	12	215:12	जविप्रा की आवासीय योजना रघुनाथ विहार में स्थित भूखण्ड संख्या ए- 419 के स्थान पर अन्य भूखण्ड संख्या ई- 287ए का विनिमय करने बाबत।	जविप्रा की आवासीय योजना रघुनाथ विहार में स्थित भूखण्ड संख्या ए- 419 के स्थान पर अन्य भूखण्ड संख्या ई- 287ए का विनिमय करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- प्राप्त एजेण्डा के प्रस्ताव अनुसार 45 मीटर के स्थान पर लॉटरी में 90 मीटर का भूखण्ड आवंटित हो जाने के कारण श्री रमेश चन्द्र सैन पुत्र स्व. श्री नन्दलाल सैन को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या ए-419 के स्थान पर भूखण्ड संख्या ई-287ए 45 व.मी. (समिति के समक्ष जोन द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में 45 व.मी. क्षेत्रफल का एकमात्र उपलब्ध भूखण्ड ई-287ए ही उपलब्ध है) का विनिमय में आवंटन का निर्णय लिया गया। श्री रमेश चन्द्र सैन को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या ए-419 (90 व.मी.) को निरस्त किये जाने पश्चात् नीलामी का प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया जावे।
13.	12	215:13	निजी खातेदारी योजना वाटिका इन्फोटेक सिटी में स्थित भूखण्ड संख्या एफ-14 क्षेत्रफल 832.64 व.मी. जो कि संस्थानिक उपयोग स्कूल प्रयोजनार्थ आरक्षित है को आवंटन के क्रम में।	निजी खातेदारी योजना वाटिका इन्फोटेक सिटी में स्थित भूखण्ड संख्या एफ-14 क्षेत्रफल 832.64 व. मी. जो कि संस्थानिक उपयोग स्कूल प्रयोजनार्थ आरक्षित है को आवंटन के क्रम में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- नविवि के आदेश दिनांक 19.07.2018, राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.07.2011 तथा सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ी गई भूमि के संबंध में आदेश

रामकिशोर व्यास भवन ए इन्दिरा सर्किल ए जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष 9101412570122 रू ईपीबीएक्स 9101412569696 एक्सटेंशन नं 67019 रू ऑफिस 911412574555
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation: Additional
Commissioner
Date: 2025.10.21 13:04:41 IST
Reason: Approved



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

				दिनांक 13.02.2015 के क्रम में निजी खातेदारी की योजना वाटिका इन्फोटेक सिटी में सुविधा क्षेत्र के भूखण्ड एफ-14 क्षेत्रफल 832.14 व.मी. भूमि बी.पी.सी. (एल.पी.) की 196वीं बैठक दिनांक 19.07.2013 में अनुमोदित मानचित्र अनुसार स्कूल हेतु निर्धारित लैण्ड यूज के रूप में उपयोग हेतु आरक्षित दर पर विकासकर्ता मैसर्स वाटिका लिमिटेड के नाम आरक्षित दर पर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। जोन उपायुक्त स्तर से पत्रावली पर तय समय सीमा/निर्धारित समयावधि में आवेदन प्राप्त होने की सुनिश्चितता तथा प्राप्त आवेदन प्राधिकरण के पार्ट पर लम्बित रहा है, कि पुष्टि पश्चात् विकासकर्ता को दिये जाने योग्य क्षेत्रफल की गणना की सुनिश्चितता करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
14.	12	215:14	निजी खातेदारी योजना वाटिका इन्फोटेक सिटी में स्थित भूखण्ड संख्या एफ-41 क्षेत्रफल 1352.25 व.मी. जो कि संस्थानिक उपयोग स्कूल प्रयोजनार्थ आरक्षित है को आवंटन के क्रम में।	निजी खातेदारी योजना वाटिका इन्फोटेक सिटी में स्थित भूखण्ड संख्या एफ-41 क्षेत्रफल 1352.25 व.मी. जो कि संस्थानिक उपयोग स्कूल प्रयोजनार्थ आरक्षित है को आवंटन के क्रम में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- नविवि के आदेश दिनांक 19.07.2018, राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.07.2011 तथा सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ी गई भूमि के संबंध में आदेश दिनांक 13.02.2015 के क्रम में निजी खातेदारी की योजना वाटिका इन्फोटेक सिटी में सुविधा क्षेत्र के भूखण्ड एफ-41 क्षेत्रफल 1352.25 व.मी. भूमि बी.पी.सी. (एल.पी.) की 196वीं बैठक दिनांक 19.07.2013 में अनुमोदित मानचित्र अनुसार स्कूल हेतु निर्धारित लैण्ड यूज के रूप में उपयोग हेतु आरक्षित दर पर विकासकर्ता मैसर्स वाटिका लिमिटेड के नाम आरक्षित दर पर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। जोन उपायुक्त स्तर से पत्रावली पर तय समय सीमा/निर्धारित समयावधि में आवेदन प्राप्त होने

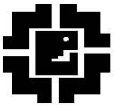
रामकिशोर व्यास भवन ए इन्दिरा सर्किल ए जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष 991014125701228 रु ईपीबीएक्स 9101412569696 एक्सटेंशन रु 870198 रु फैक्स 911412574555

ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation: Additional
Commissioner
Date: 2025.10.21 13:04:41 IST
Reason: Approved



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

				की सुनिश्चितता तथा प्राप्त आवेदन प्राधिकरण के पार्ट पर लम्बित रहा है, कि पुष्टि पश्चात् विकासकर्ता को दिये जाने योग्य क्षेत्रफल की गणना की सुनिश्चितता करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
15.	12	215:15	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरसी, झोटवाड़ा, जयपुर द्वारा ग्राम हाथोज तहसील कालवाड़ में 6000 व.मी. भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हाथोज नवीन भवन निर्माण हेतु आवंटन हेतु निवेदन किया गया है।	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरसी, झोटवाड़ा, जयपुर द्वारा ग्राम हाथोज तहसील कालवाड़ में 6000 व.मी. भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हाथोज नवीन भवन निर्माण हेतु आवंटन हेतु निवेदन किया गया है बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि— जोन द्वारा ग्राम हाथोज तहसील कालवाड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हाथोज के नवीन भवन निर्माण हेतु मांगी गई भूमि के लिये जविप्रा की योजना हाथोज करधनी विस्तार में आरक्षित भूमि में से 2384.45 व.मी. भूमि आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जबकि भू-आवंटन नीति 2025 के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 4000 व.मी. आवंटन किये जाने का प्रावधान है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया कि जोन के प्रस्तावित 2384.45 व.मी. के स्थान पर नक्शों में दर्शाया गया 673.32 व.मी. का साथ ही लगता हुआ भूखण्ड भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हाथोज हेतु निःशुल्क आवंटित किया जावे। अतः समिति के निर्णयानुसार दिये जाने वाले भूखण्ड के सम्बन्ध में पीडब्ल्यूसी की बैठक में संशोधन पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जावे।
16.	12	215:16	ग्राम चतरपुरा तहसील रामपुराडाबड़ी के खसरा नं. 372 रकबा 3.93 हैक्टेयर में से 5000 वर्ग मीटर भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटन बाबत।	ग्राम चतरपुरा तहसील रामपुराडाबड़ी के खसरा नं. 372 रकबा 3.93 हैक्टेयर में से 5000 वर्ग मीटर भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि :— ग्राम चतरपुरा तहसील रामपुराडाबड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 5000 व.मी भूमि का आवंटन चाहा गया है जबकि भू-आवंटन नीति-2025 के

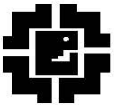
रामकिशोर व्यास भवन ए इन्दिरा सर्किल ए जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष 991014125701228 रु ईपीबीएक्स 9101412569696 एक्सटेंशन रु 87019 रु फैक्स 911412574555

ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional
Commissioner
Date: 2025.10.21 13:04:41 IST
Reason: Approved



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

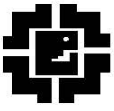
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

				अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 4000 व.मी. भूमि आवंटन का प्रावधान है। अतः ग्राम चतरपुरा तहसील रामपुराडाबडी के खसरा नं. 372 रकबा 3.93 हैक्टे. में से 4000 व.मी. भूमि निःशुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया।
17.	12	215:17	जविप्रा की आवासीय योजना अमृत कुँज में आवंटन से शेष रहे 60 भूखण्डधारियों (30 व.मी.) को अमृत कुँज II योजना में रिप्लानिंग कर भूखण्ड आवंटन बाबत।	जविप्रा की आवासीय योजना अमृत कुँज में आवंटन से शेष रहे 60 भूखण्डधारियों (30 व.मी.) को अमृत कुँज II योजना में रिप्लानिंग कर भूखण्ड आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- जोन द्वारा प्रस्तावित ग्राम कालवाड तहसील जयपुर में स्थित जविप्रा की आवासीय योजना अमृत कुँज में आवंटित भूखण्डधारी जिनकी लीजडीड जारी हो चुकी है तथा सम्पूर्ण राशि जमा है जिनको न्यायिक प्रकरणों से कब्जा नहीं दिये जा <u>पाने/निर्माण</u> कार्य पर रोक होने की वजह से अमृत कुँज II योजना में भूखण्ड आवंटित किया जाना था, ऐसे शेष रहे 60 भूखण्डधारियों को 30 व.मी. के भूखण्ड नीलामी के माध्यम से जोन द्वारा यथाप्रस्तावित आवंटन का निर्णय लिया गया। ऐसे अन्य प्रकरण जिनमें मांगी गई पूरी राशि जमा नहीं है को निरस्तीकरण की श्रेणी में मानते हुए राशि लौटाये जाने का निर्णय लिया गया। जिसके लिये सार्वजनिक विज्ञप्ति के माध्यम से प्रभावितों को सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया। पूर्व में आवंटित भूखण्डों को न्यायिक निर्णय पश्चात् सीपीआरएमएस/लैण्ड बैंक में जविप्रा के नाम दर्ज किया जावे।
18.	13	215:18	राजस्व ग्राम-मोटू का बास, तहसील-आमेर में स्थित निजी खातेदारी की अनुमोदित आवासीय योजना "ईडन गार्डन-II" के सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या एफ-1 (अंतिम उपयोग क्लब हाउस) क्षेत्रफल 4568.83 व.मी. भूमि का	राजस्व ग्राम-मोटू का बास, तहसील-आमेर में स्थित निजी खातेदारी की अनुमोदित आवासीय योजना "ईडन गार्डन-II" के सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या एफ-1 (अंतिम उपयोग क्लब हाउस) क्षेत्रफल 4568.83 व.मी. भूमि का आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:-

रामकिशोर व्यास भवन इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर-302004
दूरभाष 91014125701222 ईपीबीएक्स 9101412569696 एक्सटेंशन 670196 ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation: Additional
Commissioner
Date: 2025.10.21 13:04:41 IST
Reason: Approved



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

			आवंटन करने बाबत।	नविवि के आदेश दिनांक 19.07.2018, राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.07.2011 तथा सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ी गई भूमि के संबंध में आदेश दिनांक 13.02.2015 के क्रम में निजी खातेदारी की योजना "ईडन गार्डन-II" ग्राम मोटू का बास तहसील आमेर के सुविधा क्षेत्र के भूखण्ड संख्या एफ-1 क्षेत्रफल 4568.83 व.मी. भूमि बी.पी. सी. (एल.पी.) की 343वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 में कल्ब हाउस हेतु निर्धारित लैण्ड यूज के रूप में उपयोग हेतु आरक्षित दर पर विकासकर्ता बिल्डर्स अलायंस प्रा. लि. को आरक्षित दर पर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। जोन उपायुक्त स्तर से पत्रावली पर तय समय सीमा/निर्धारित समयावधि में आवेदन प्राप्त होने की सुनिश्चितता तथा प्राप्त आवेदन प्राधिकरण के पार्ट पर लम्बित रहा है, कि पुष्टि पश्चात् विकासकर्ता को दिये जाने योग्य क्षेत्रफल की गणना की सुनिश्चितता करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
19.	13	215:19	तिलक एजुकेशन एण्ड मेडीकल सोसायटी द्वारा शैक्षणिक एवं चिकित्सा कार्य हेतु जविप्रा की आवासीय योजना पीताम्बरा के एफ-ब्लॉक में इंस्टीट्यूशनल भूखण्ड क्षेत्रफल 2500 व.मी. भूमि आवंटन के संबंध में।	तिलक एजुकेशन एण्ड मेडीकल सोसायटी द्वारा शैक्षणिक एवं चिकित्सा कार्य हेतु जविप्रा की आवासीय योजना पीताम्बरा के एफ-ब्लॉक में इंस्टीट्यूशनल भूखण्ड क्षेत्रफल 2500 व.मी. भूमि आवंटन के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- संस्था द्वारा दिनांक 14.10.2025 को अलाभकारी संस्था होने के आधार पर रियायती दर पर आवंटन चाहा गया है। जविप्रा की राइजिंग राजस्थान के तहत प्राप्त निवेश प्रस्ताव एवं वित्तीय सक्षमता स्वीकार्य होने के आधार पर पीताम्बरा आवासीय योजना के एफ-ब्लॉक में इंस्टीट्यूशनल भूखण्ड क्षेत्रफल 2500 व.मी. भूमि का आवंटन संस्थानिक आरक्षित दर पर किये जाने की अभिशंका के साथ राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
20.	13	215:20	जविप्रा की व्यावसायिक योजना	जविप्रा की व्यावसायिक योजना ट्रांसपोर्ट नगर के

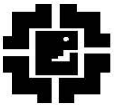
रामकिशोर व्यास भवन ए इन्दिरा सर्किल ए जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष 991014125701222 रु ईपीबीएक्स 9101412569696 एक्सटेंशन रु 87019 रु फैक्स 911412574555

ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional
Commissioner
Date: 2025.10.21 13:04:41 IST
Reason: Approved



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

			ट्रांसपोर्ट नगर के भूखण्ड संख्या A4/426 क्षेत्रफल 210.00 व.मी. मौके पर उपलब्ध नहीं होने के कारण विनिमय में अन्य भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	भूखण्ड संख्या A4/426 क्षेत्रफल 210.00 व.मी. मौके पर उपलब्ध नहीं होने के कारण विनिमय में अन्य भूखण्ड आवंटित करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- - जोन द्वारा एजेण्डा में उल्लेख किया गया है कि खसरा सीमा से बाहर होने की वजह से भूखण्ड संख्या A4/426 से 432 तक के भूखण्डों की रिप्लानिंग का प्रस्ताव पूर्व में किया गया था, जिसमें भूखण्ड संख्या 426 को छोड़कर अन्य भूखण्डों को विनिमय में भूखण्ड दिया जा चुका है। - इस संबंध में समिति द्वारा निर्णय किया गया कि उपायुक्त जोन स्तर से जाँच कर सुनिश्चितता की जाये की एक ही भूखण्ड शेष है एवं एक ही भूखण्ड रहने की स्थिति में प्रस्तावित विनिमय को लॉटरी के माध्यम से किया जाना स्वीकार किया जाता है। - एक से अधिक भूखण्ड रहने की स्थिति में पूर्ण प्रस्ताव के साथ आगामी बैठक में रखा जावे।
21.	13	215:21	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर द्वितीय राजस्व ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 1340/2 रकबा 2.30 हैक्टेयर में से 1500 व.मी. भूमि सीज की गयी गाड़ियों की लिए सीजर यार्ड आवंटन बाबत।	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर द्वितीय राजस्व ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 1340/2 रकबा 2.30 हैक्टेयर में से 1500 व.मी. भूमि सीज की गयी गाड़ियों की लिए सीजर यार्ड आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर द्वितीय को सीज की गई गाड़ियों के लिए सीजर यार्ड हेतु जोन द्वारा राजस्व ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 1340/2 रकबा 2.30 हैक्टेयर में से 1500 व.मी. भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई है। जिसे सम्पूर्ण भूमि की रिप्लानिंग की जाकर मुख्य सड़क से रास्ता दिये जाते हुए प्लॉन किया जाकर पीडब्ल्यूसी की बैठक के समक्ष रखे जाने का

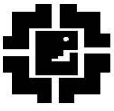
रामकिशोर व्यास भवन ए इन्दिरा सर्किल ए जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर 302004

दूरभाष 91014125701222 रु ईपीबीएक्स 9101412569696 एक्सटेंशन रु 87019 रु फ़ैक्स 911412574555

ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation: Additional
Commissioner
Date: 2025.10.21 13:04:41 IST
Reason: Approved



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

				निर्देश दिया गया। उक्त 1500 व.मी. भूमि परिवहन विभाग को उपयोग हेतु अस्थाई रूप से आरक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया। सीजर यार्ड को उपलब्ध करवाई जाने वाली भूमि में स्थाई निर्माण आवश्यक नहीं होगा। अतः ऐसी भूमि के संबंध में जविप्रा एवं परिवहन विभाग के मध्य एमओयू किया जायेगा। भूमि का स्वामित्व जविप्रा के नाम ही रहेगा।
22.	13	215:22	जविप्रा की आवासीय योजना कल्पना नगर के भूखण्ड संख्या बी-199 क्षेत्रफल 315.00 व.मी. के स्थान पर विनिमय में अन्य भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	जविप्रा की आवासीय योजना कल्पना नगर के भूखण्ड संख्या बी-199 क्षेत्रफल 315.00 व.मी. के स्थान पर विनिमय में अन्य भूखण्ड आवंटित करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- जोन द्वारा खसरा बाउन्ड्री से प्रभावित होने की वजह से प्रस्तावित आवासीय योजना कल्पना नगर के भूखण्ड संख्या बी-199 क्षेत्रफल 315.00 व.मी. के स्थान पर विनिमय में अन्य भूखण्ड समतुल्यता/सममूल्यता के आधार पर लॉटरी के माध्यम से आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही उपायुक्त जोन को निर्देशित किया गया कि समान प्रकृति के प्रकरणों का ब्लॉकवार/स्कीमवार सूची तैयार की जाकर आगामी बैठक में विनिमय प्रस्ताव रखा जावे। साथ ही विनिमय से खाली हुई भूमि की रिप्लॉनिंग करते हुए सीपीआरएमएस/लैण्ड बैंक में अपडेट करावें।
23.	13	215:23	हरचन्दपुरा डेयरी योजना के भूखण्ड संख्या SP-2 क्षेत्रफल 3380.15 व.मी. के स्थान पर इस योजना में रिक्त भूखण्ड संख्या SP-3 क्षेत्रफल 3184.45 वर्ग मीटर, SP-4 क्षेत्रफल 195.70 वर्ग मीटर विनिमय में आवंटन करने बाबत।	हरचन्दपुरा डेयरी योजना के भूखण्ड संख्या SP-2 क्षेत्रफल 3380.15 व.मी. के स्थान पर इस योजना में रिक्त भूखण्ड संख्या SP-3 क्षेत्रफल 3184.45 वर्ग मीटर, SP-4 क्षेत्रफल 195.70 वर्ग मीटर विनिमय में आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- जोन द्वारा प्रस्तावित हरचन्दपुरा डेयरी योजना के

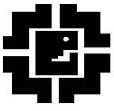
रामकिशोर व्यास भवन ए इन्दिरा सर्किल ए जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर-302004

दूरभाष 91014125701222 रु ईपीबीएक्स 9101412569696 एक्सटेंशन रु 87019 रु फैक्स 911412574555

ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional
Commissioner
Date: 2025.10.21 13:04:41 IST
Reason: Approved



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

				भूखण्ड संख्या SP-2 क्षेत्रफल 3380.15 व.मी. के भूखण्ड पर साईट प्लान में दर्शित 18 मीटर एवं 9 मीटर सड़क उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से इस योजना में रिक्त भूखण्ड संख्या SP-3 क्षेत्रफल 3184.45 वर्ग मीटर, SP-4 क्षेत्रफल 195.70 वर्ग मीटर को पीडब्ल्यूसी की बैठक दिनांक 12.06.2025 में की गई रिप्लानिंग के आधार पर विनिमय किये जाने का निर्णय लिया गया।
24.	13	215:24	आवेदक श्री श्रीदत्त कुमावत पुत्र श्री सीताराम को जविप्रा की आवासीय योजना साईन्सटेक सिटी के भूखण्ड संख्या 383 क्षेत्रफल 162.00 व.मी. के स्थान पर विनिमय में सामान्य क्षेत्रफल का अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	आवेदक श्री श्रीदत्त कुमावत पुत्र श्री सीताराम को जविप्रा की आवासीय योजना साईन्सटेक सिटी के भूखण्ड संख्या 383 क्षेत्रफल 162.00 व.मी. पुलिस चौकी होने की वजह से विनिमय में सामान्य क्षेत्रफल का अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- जोन द्वारा प्रस्तावित जविप्रा की आवासीय योजना साईन्सटेक सिटी के भूखण्ड संख्या 383 क्षेत्रफल 162.00 व.मी. के स्थान पर विनिमय में सामान्य क्षेत्रफल का अन्य भूखण्ड (भूखण्ड संख्या 125, 262, 263, 267) में से लॉटरी के आधार पर आवेदक श्री श्रीदत्त कुमावत पुत्र श्री सीताराम को आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
25.	13	215:25	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में आवंटित भूमि ग्राम-अचरोल तहसील आमेर में जविप्रा को अनुमोदित साईन्स टेक सिटी में भूखण्ड संख्या 02 क्षेत्रफल 10000 व.मी. के स्थान पर 7000 व.मी. भूमि का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अचरोल को आवंटन करने बाबत।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में आवंटित भूमि ग्राम-अचरोल तहसील आमेर में जविप्रा को अनुमोदित साईन्स टेक सिटी में भूखण्ड संख्या 02 क्षेत्रफल 10000 व.मी. के स्थान पर 7000 व.मी. भूमि का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अचरोल को आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- प्राधिकरण की 174वीं एलपीसी बैठक दिनांक 06.10.2022 में जविप्रा की साईन्स टेक सिटी योजना में सैटेलाईट हॉस्पिटल हेतु आवंटित भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 10000 व.मी. के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम के

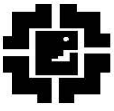
रामकिशोर व्यास भवन ए इन्दिरा सर्किल ए जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष 991014125701222 रु ईपीबीएक्स 9101412569696 एक्सटेंशन रु 87019 रु 01 वीसी 911412574555

ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation: Additional
Commissioner
Date: 2025.10.21 13:04:41 IST
Reason: Approved



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

				प्रार्थना-पत्र के आधार पर सैटेलाईट हॉस्पिटल के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अचरोल हेतु पूर्व आवंटित 10000 व.मी. के स्थान पर 7000 व.मी. भूमि चाहिए गई है। नवीन भू-आवंटन नीति-2025 के प्रावधानानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु संभागीय स्तर पर 4000 व.मी. भूमि ही देय है। प्राधिकरण की योजना साईन्स टेक सिटी अचरोल के भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 10000 व.मी. को पीडब्ल्यूसी की बैठक के समक्ष रखा जाकर 5000-5000 वर्गमीटर के दो भूखण्ड सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसमें से 5000 व.मी. भूमि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अचरोल हेतु निःशुल्क आवंटन की अभिशंषा (भू-आवंटन नीति के प्रावधान 4000 व.मी. से अधिक के आवंटन के कारण) के साथ राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
26.	14	215:26	कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण) राजस्थान, जोधपुर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा के बिन्दु संख्या 28 में सम्भाग स्तरीय 'Center for Advanced skilling and Career Counselling, Jaipur' हेतु जविप्रा की संस्थानिक योजना नॉलेज सिटी साउथ चित्तौड़ा के भूखण्ड संख्या IT-3 क्षेत्रफल 2.99 हैक्टे. (30 मीटर-60 मीटर सड़क पर) एवं भूखण्ड संख्या IT-4 क्षेत्रफल 2.56 हैक्टे. (60 मीटर सड़क पर) कुल 5.55 हैक्टे. भूमि आवंटन किये जाने के संबंध में।	कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण) राजस्थान, जोधपुर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा के बिन्दु संख्या 28 में सम्भाग स्तरीय 'Center for Advanced skilling and Career Counselling, Jaipur' हेतु जविप्रा की संस्थानिक योजना नॉलेज सिटी साउथ चित्तौड़ा के भूखण्ड संख्या IT-3 क्षेत्रफल 2.99 हैक्टे. (30 मीटर-60 मीटर सड़क पर) एवं भूखण्ड संख्या IT-4 क्षेत्रफल 2.56 हैक्टे. (60 मीटर सड़क पर) कुल 5.55 हैक्टे. भूमि आवंटन किये जाने के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- जोन द्वारा प्रस्तावित कुल 5.55 हैक्टेयर क्षेत्रफल तथा भू-आवंटन नीति-2025 में वांछित उपयोग का उल्लेख नहीं होने के कारण महाविद्यालय (सामान्य, तकनीकी, पॉलिटेक्निक, चिकित्सा,

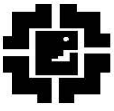
रामकिशोर व्यास भवन ए इन्दिरा सर्किल ए जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष 91014125701222 रु ईपीबीएक्स 9101412569696 एक्सटेंशन रु 87019 रु फैक्स 911412574555

ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation: Additional
Commissioner
Date: 2025.10.21 13:04:41 IST
Reason: Approved



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

				आईटीआई सहित) कैटेगरी में संभागीय मुख्यालय को आधार मानते हुए भूखण्ड संख्या IT-4 क्षेत्रफल 2.56 हैक्टे. (60 मीटर सड़क पर) के आवंटन की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन के स्तर से राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने से पूर्व भू-आवंटन नीति-2025 के प्रावधानानुसार आवेदक संस्था से वांछित डीपीआर प्राप्त की जावे।
27.	14	215:27	ग्राम बल्लुपुरा, चाकसू, जयपुर में जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 58/1 रकबा 26.62 हैक्ट. किस्म चारागाह भूमि राईजिंग राजस्थान प्रक्रियान्तर्गत विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में।	ग्राम बल्लुपुरा, चाकसू, जयपुर में जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 58/1 रकबा 26.62 हैक्ट. किस्म चारागाह भूमि राईजिंग राजस्थान प्रक्रियान्तर्गत विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- राईजिंग राजस्थान के तहत प्राप्त निवेश प्रस्ताव एवं वित्तीय सक्षमता स्वीकार्य होने के आधार पर ग्राम बल्लुपुरा, चाकसू, जयपुर में जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 58/1 रकबा 26.62 हैक्ट. किस्म चारागाह में से विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु नवीन भू-आवंटन नीति-2025 के प्रावधानानुसार 20 एकड़ अविकसित भूमि होने के कारण डीएलसी दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। जोन द्वारा प्रस्तावित भूमि ग्राम बल्लुपुरा, चाकसू, जयपुर में जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 58/1 रकबा 26.62 हैक्ट. डीपीसीआर (MDP 2025) वॉल्यूम-4 के बिन्दु संख्या 10.3.2 में उल्लेखित औद्योगिक प्रयोजनार्थ जोन में निम्नानुसार नोट अंकित है 'other institutional areas as permitted in state policy would also be permissible.' अतः तदनुसार आवंटन की स्वीकृति अपेक्षित है। अतः सम्पूर्ण तथ्यों के विवरण के साथ राज्य सरकार को भिजवाया जावे।
28.	PRN	215:28	प्राधिकरण की योजना	प्राधिकरण की योजना गिरधारीपुरा ए ब्लॉक के

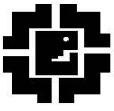
रामकिशोर व्यास भवन ए इन्दिरा सर्किल ए जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष 91014125701222 रु ईपीबीएक्स 9101412569696 एक्सटेंशन रु 67019 रु फैक्स 911412574555

ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation: Additional
Commissioner
Date: 2025.10.21 13:04:41 IST
Reason: Approved



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

	- Nort h-2		गिरधारीपुरा ए ब्लॉक के अनुमोदित मानचित्र में दर्शित फैसिलिटी की भूमि 1523.45 वर्ग मीटर में से सैक्टर रोड 12 मीटर की तरफ संलग्न पार्ट प्लान अनुसार 1000 वर्ग मीटर भूमि जीएसएस 33/11 के वी सब-स्टेशन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।	अनुमोदित मानचित्र में दर्शित फैसिलिटी की भूमि 1523.45 वर्ग मीटर में से सैक्टर रोड 12 मीटर की तरफ संलग्न पार्ट प्लान अनुसार 1000 वर्ग मीटर भूमि जीएसएस 33/11 के वी सब-स्टेशन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- जोन द्वारा यथाप्रस्तावित प्राधिकरण की योजना गिरधारीपुरा ए ब्लॉक के अनुमोदित मानचित्र में दर्शित फैसिलिटी की भूमि 1523.45 वर्ग मीटर में से सैक्टर रोड 12 मीटर की तरफ संलग्न पार्ट प्लान अनुसार 1000 वर्ग मीटर भूमि 33/11 के वी सब स्टेशन हेतु आवंटन आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर किये जाने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से प्रस्तुत टेबल एजेण्डा				
29.	9	215:29	उपस्वास्थ्य केन्द्र खुसर हेतु जविप्रा की योजना के खुसर विस्तार में सुविधा क्षेत्र की भूमि 2487.73 व.मी. में से 500.00 व.मी. भूमि आवंटन बाबत।	उपस्वास्थ्य केन्द्र खुसर हेतु जविप्रा की योजना के खुसर विस्तार में सुविधा क्षेत्र की भूमि 2487.73 व.मी. में से 500.00 व.मी. भूमि आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- जोन द्वारा यथाप्रस्तावित जविप्रा की आवासीय योजना खुसर विस्तार में सुविधा क्षेत्र की कुल भूमि 2487.73 व.मी. में से 500 व.मी. भूमि का निःशुल्क आवंटन उपस्वास्थ्य केन्द्र खुसर हेतु किये जाने का निर्णय लिया गया। सुविधा क्षेत्र की प्लॉनिंग हेतु पीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रस्ताव रखा जावे।
30.	9	215:30	उपस्वास्थ्य केन्द्र मुरलीपुरा हेतु निजी खातेदारी की योजना आनंद सागर में सुविधा क्षेत्र की भूमि 948.77 व.मी. (1134.72 व.ग.) में से 500 व.मी. भूमि	उपस्वास्थ्य केन्द्र मुरलीपुरा हेतु निजी खातेदारी की योजना आनंद सागर में सुविधा क्षेत्र की भूमि 948.77 व.मी. (1134.72 व.ग.) में से 500 व.मी. भूमि आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय

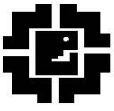
रामकिशोर व्यास भवन ए इन्दिरा सर्किल ए जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष 9101412570122 रू ईपीबीएक्स 9101412569696 एक्सटेंशन रू 87019 रू ऑफिस 911412574555

ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional
Commissioner
Date: 2025.10.21 13:04:41 IST
Reason: Approved



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

			आवंटन बाबत।	लिया गया कि:- जोन द्वारा यथाप्रस्तावित निजी खातेदारी की आवासीय योजना आनंद सागर में सुविधा क्षेत्र की भूमि 948.77 व.मी. (1134.72 व.ग.) में से 500 व.मी. भूमि का निःशुल्क आवंटन उपस्वास्थ्य केन्द्र मुरलीपुरा हेतु किये जाने का निर्णय लिया गया।
31.	9	215:31	उप स्वास्थ्य केन्द्र सिरौली हेतु जविप्रा की योजना के निलय कुंज फेज-II में सुविधा क्षेत्र की भूमि 979.56 व.मी. में से 500 व.मी. भूमि आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- जोन द्वारा यथाप्रस्तावित जविप्रा की योजना के निलय कुंज फेज-II में सुविधा क्षेत्र की भूमि 979.56 व.मी. में से 500 व.मी. भूमि का निःशुल्क आवंटन उपस्वास्थ्य केन्द्र सिरौली हेतु किये जाने का निर्णय लिया गया। सुविधा क्षेत्र की प्लॉनिंग हेतु पीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रस्ताव रखा जावे।	
32.	12	215:32	प्राधिकरण की योजना गोकुल नगर कालवाड रोड, जयपुर में स्थित फैसिलिटी भूखण्ड संख्या एफ-06, एफ-06-ए एवं एफ-07 की भूमि नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के फायर स्टेशन, झोटवाडा जोन कार्यालय एवं गौराज के लिए आवंटन के संबंध में।	प्राधिकरण की योजना गोकुल नगर कालवाड रोड, जयपुर में स्थित फैसिलिटी भूखण्ड संख्या एफ-06, एफ-06-ए एवं एफ-07 की भूमि नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के फायर स्टेशन, झोटवाडा जोन कार्यालय एवं गौराज के लिए आवंटन के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:- जोन द्वारा यथाप्रस्तावित प्राधिकरण की योजना गोकुल नगर कालवाड रोड, जयपुर में स्थित फैसिलिटी भूखण्ड संख्या एफ-06 क्षेत्रफल 1962.59 व.मी., एफ-06-ए क्षेत्रफल 3075.20 व.मी. एवं एफ-07 क्षेत्रफल 6284.06 व.मी. कुल भूमि 11321.95 व.मी. का आवंटन फायर स्टेशन हेतु नगर निगम ग्रेटर को आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

रामकिशोर व्यास भवन ए इन्दिरा सर्किल ए जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष 991014125701222 रु ईपीबीएक्स 9101412569696 एक्सटेंशन रु 87019 रु फैक्स 911412574555

ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional
Commissioner
Date: 2025.10.21 13:04:41 IST
Reason: Approved



जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी-I, II, III, IV/नगर-आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेंट/संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन-1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर-प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण-प्रथम व द्वितीय)।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्कैन कर जविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

रामकिशोर व्यास भवन ए इन्दिरा सर्किल ए जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष : 9101412570122 टूर ईपीबीएक्स : 9101412569696 एक्सटेंशन : 47019 टूर फैक्स : 911412574555

ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional
Commissioner
Date: 2025.10.21 13:04:41 IST
Reason: Approved